तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 132/2018 अनवान नीम्बसिंह बनाम तहसीलदार बाडमेर**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
06/08/19 सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी तहसीलदार बाडमेर द्वारा वाद का उतर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी उक्त भूमि पर अतिक्रमी है। वादी स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसे सन् 2000 में नोटिस मिलने पर यह जानकारी हुई कि उक्त भूमि उसके नाम नही है। जानकारी होने के 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है, जिसमे वादी को किसी प्रकार की सहायता मिलने की संभावना नही है। वादी द्वारा राजकीय भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज योग्य है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा आपति करते हुए निवेदन किया कि राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से नोटिस दिये जाने का प्रावधान है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार बाडमेर को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया है, जो विधि विरूद्ध है। वादी का वाद खारिज योग्य है। वकील वादी द्वारा आपति पर कथन करते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र के साथ उसके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रकरण अति–आवश्यक प्रकृति का है। नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो वादी को इस अवधि में बेदखल किया जा सकता है, जिससे वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। प्रतिवादी द्वारा की गई आपति खारिज योग्य है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा उक्त वाद 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है। यदि यह वाद अति–आवश्यक प्रकृति का होता तो 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत नही किया जाता। वकील वादी का तर्क मिथ्या है। वाद खारिज योग्य है। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि वादी राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज हुआ था, जिसे विधिक	

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व वाद संख्या 132/2018 अनवान नीम्बसिंह बनाम तहसीलदार बाडमेर**	नम्बर तारीख जो इस की तारीख जारी हुए

कार्रवाई कर बेदखल किया गया। अतिक्रमी की हैसियत से कभी–कभार काबिज काश्तकार को राजकीय भूमि की खातेदारी दिया जाना उचित नही है। यद्यपि वकील वादी द्वारा वाद के संलग्न 80 (2) सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया है तथापि तहसीलदार बाडमेर का यह तर्क विचारणीय है कि प्रकरण अति–आवश्यक प्रकृति का होता तो 18 वर्ष पश्चात प्रस्तुत नही किया जाता। वादी का यह दायित्व था कि वह राज्य सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पहले धारा 80 सीपीसी के प्रावधानों की पालना में नोटिस देता और उसके पश्चात वाद दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित करता। वादी द्वारा नोटिस नही देकर विधि का उल्लंघन किया है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि राज्य सरकार के विरूद्ध वाद दायर करने से पूर्व वादी द्वारा धारा 80 सीपीसी के अन्तर्गत राज्य सरकार को नोटिस दिया जाना चाहिए था, परन्तु वादी द्वारा ऐसा न कर विधि का उल्लंघन किया है।

अतः वादी का वाद विधि सम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.08.22 13:24:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: